झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक–23.08.2012 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सुवर्णरेखा परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

दिनांक–23.08.2012 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यों की समीक्षा में निम्नलिखित पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए :–

1.	श्री एस0 के0 सतपथी	–	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
2.	श्री राहुल शर्मा	–	प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना युनिट
3.	श्री अशोक कुमार	–	मुख्य अभियंता, योजना, आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग
4.	श्री ब्रजमोहन कुमार	–	मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, जल संसाधन विभाग
5.	श्री विवेकानंद मिश्र	–	मुख्य अभियंता, ईचा कॉम्पलेक्स, जल संसाधन विभाग
6.	शिव कुमार अग्रवाल	–	सचिव प्रावैधिक, सुवर्णरेखा परियोजना युनिट
7.	श्री सुनिल कुमार सिंहा	–	अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर
8.	श्री विनोद यादव	–	अधीक्षण अभियंता, खरकई नहर अचंल, आदित्यपुर
9.	श्री कुमार गजेन्द्र सिंह	–	अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अचंल, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर
10.	श्री का0नं0कु0कु0 सिंकू	–	अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अचंल, ईचा कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर
11.	श्री विनोद राम माहूरी	–	अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध अंचल, चांडिल
12.	श्री प्रदीप कुमार	–	कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्र0 सं0–12, गालुडीह
13.	श्री यतीश कुमार मल्लिक	–	कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्र0 सं0–17, गालुडीह
14.	श्री विनोद कुमार चौधरी	–	कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्र0 सं0–3, डिमना

बैठक में परियोजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया :–

1. सुवर्णरेखा परियोजना के वैसे सभी कार्य जिसकी निविदा अबतक नहीं हो पायी है, उन सभी कार्यों की निविदा सूचना दोनों मुख्य अभियंता दिनांक–15 सितम्बर 2012 तक प्रकाशित करना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।
(कार्रवाई–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियाजना)

2. मुख्य अभियंता, चांडिल परिक्षेत्र तथा मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह परिक्षेत्र से संबंधित निविदाओं के निस्तार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक प्रत्येक शनिवार को रखे जाने का निर्णय लिया गया। यदि शनिवार को अवकाश हो तो वैसी स्थिति में अगले कार्यदिवस सोमवार को समिति की बैठक किए जाने का निर्णय लिया गया।
(कार्रवाई–अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग)

3. प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना के वर्ष 2012–13 के स्वीकृत कार्यक्रम की समीक्षा करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित कार्यक्रम 15 सितम्बर 2012 तक विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियाजना)

4. वर्ष 2013–14 का कार्यक्रम दिनांक–30 सितम्बर 2012 तक निश्चित रूप से प्रशासक सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के माध्यम से विभाग को उपलबध करायेंगे।

(कार्रवाई–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियाजना)

5. "मोविलाईजेशन अग्रिम"/कार्यों की समयवृद्धि आदि मामलों का निष्पादन पी0डब्लयूडी0 को 2012 तथा एस0बी0डी0 के Clause एवं नियमावली के तहत् प्रदान किए जाने का निर्णय किया जाता हैं। उपरोक्त वर्णित कार्यों को PWD Code तथा SBD के प्रदत्त शक्तियों के दायरे में निष्पादित किए जायेंगे एवं इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई–संयुक्त सचिव (अभि0), जल संसाधन विभाग)

6. सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के अभियंताओं के अवकाश की स्वीकृति प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर प्रदान करेंगे।

(कार्रवाई–संयुक्त सचिव, प्रबंधन एवं प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना)

7. पुनर्वास एवं भू–अर्जन के कार्यों से संबंधित आबंटन प्रस्ताव दोनों परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, प्रशासक के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई– प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई। बैठक की कार्यवाही पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी/विविध/352/08– /राँची, दिनांक–..................

प्रतिलिपि :– प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/श्री एन0 के0 राय, परामर्शी–I, जल संसाधन विभाग, राँची/अभिंयता प्रमुख–I & II, जल संसाधन विभाग, राँची के निजी सहायक/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल/ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची/सचिव प्रावैधिक प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजन, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी/विविध/352/08–1000**/राँची, दिनांक–**30.08.2012

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

D:\R_ pmc\1_PMC_352_08.doc